

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 619]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 18, शक 1944

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2022

संशोधन

क्र. 1619-रास.-यू.ए.-5-2022.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के परिनियम में संशोधन हेतु इस सचिवालय द्वारा अधिसूचना क्र. 1313-रास.-यू.ए.-5-2022, दिनांक 29 सितम्बर 2022 जारी की गई है.

2. उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति में त्रुटिवश "जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम" एवं उप सचिव के हस्ताक्षर के पूर्व "कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार" अंकित हुआ है.

3. उपरोक्त हुई त्रुटि को सुधार उपरांत निम्नानुसार पढ़ा जावे:—

1. प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति में "जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम"
2. उप सचिव के हस्ताक्षर के पूर्व "कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार"
4. अधिसूचना में उल्लेखित अन्य विवरण यथावत् रहेगा.

स्वरोचिष सोमवंशी, राज्यपाल के उपसचिव.